

झारखंड सरकार,
जल संसाधन विभाग,

सं0सं0-8/ज0सं0(नि0)विविध-29/02

/राँची, दिनांक-

संकल्प


विभागीय संकल्प ज्ञापांक-439, दिनांक-17.02.2003 द्वारा श्री अनिल कुमार गुप्ता, तत्कालीन कनीय अभियंता, भरनो प्रखंड, गुमला के विरुद्ध असैनिक सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-1930 के नियम-55 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री डी0के0सक्सेना, तत्कालीन विशेष कार्य पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। श्री सक्सेना के विभाग से स्थानांतरण हो जाने के कारण जांच कार्य पूर्ण नहीं हो सका। अतः विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2351, दिनांक-14.05.2015 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री अशोक कुमार सिन्हा, से0नि0, भा0प्र0से0 को जांच पदाधिकारी नियुक्त किया गया। कतिपय कारणों से श्री सिन्हा द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही का जांच कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका।

2. अतः उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री रामदेव सिन्हा, अधीक्षण अभियंता (मो0) को संचालन पदाधिकारी तथा श्री इग्नेस कुजुर, अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-03 को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. विभागीय संकल्प ज्ञापांक-439, दिनांक-17.02.2003 की अन्य कंडिकायें एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति अनुबंध की प्रति के साथ:- श्री रामदेव सिन्हा, अधीक्षण अभियंता (मो0) जल संसाधन विभाग, झारखंड राँची/श्री इग्नेस कुजुर, अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-03, जल संसाधन विभाग, झारखंड राँची/श्री अनिल कुमार गुप्ता, कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।


झारखंड राज्यपाल के आदेश से,


(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव (नि0)।

ज्ञापांक-..... दिनांक-.....


प्रतिलिपि:- श्री रामदेव सिन्हा, अधीक्षण अभियंता (मो0) जल संसाधन विभाग, झारखंड राँची/श्री इग्नेस कुजुर, अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-03, जल संसाधन विभाग, झारखंड राँची/श्री अनिल कुमार गुप्ता, कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।
अनु0:-यथोक्त।


(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव (नि0)।

ज्ञापांक-..... दिनांक-.....


प्रतिलिपि:- श्री अशोक कुमार सिन्हा, से0नि0, भा0प्र0से0, टी0ए0 डिवीजन बिल्डिंग गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को उनके पत्रांक-210, दिनांक-18.05.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।


(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव (नि0)।

ज्ञापांक-4192 दिनांक-6-8-15

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव (प्र0), जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव (नि0)।